



सत्यमेव जयते

सं. नं० 10 (21) / कर-मुक्ति / 31/7/09 / 1000-कार्य/17/09-10 / दिनांक 27.7.09

भारत सरकार

(वित्त-प्रशासन)

कार्यालय आयकर आयुक्त

बैंगलूरु शहर, मेरठ।

सेवा नं.

श्री. कृष्ण शर्मा, प्रिन्सिपल ट्रेडर
आयुक्त, मेरठ

विषय : आयकर अधिनियम की धारा 80-बी के अधीन
कर-मुक्ति प्रमाण-पत्र

उपरोक्त विषय पर दिनांक 3/7/09 को आपकी अधिनियम के संदर्भ में आपकी सूचित
लिखा जाता है कि श्री. कृष्ण शर्मा, प्रिन्सिपल ट्रेडर, 61, सिपली मार्ग, मेरठ
(भारत/भारत के पास और-भारत)

को दिया गया संशोधन आयकर अधिनियम 1981 की धारा 80-बी के अंतर्गत चयनता के पत्र में कर-मुक्ति
के दिनांक 3/7/09 से 31/3/2011 तक की अवधि के लिए वैध है।



27.7.09
(दिनांक 27.7.09)
आयुक्त, मेरठ

1. दस्तावेज को जारी की जाने वाली-रसीद में इस आदेश की संख्या और दिनांक लिखा होना चाहिए और साथ ही यह भी लिखें कि यह प्रमाण-पत्र केवल दिनांक 3/7/2009 से 31/3/2011 तक की अवधि के लिए वैध है।
2. प्राप्ति और लघु के हिसाब का वार्षिक विवरण आयकर अधिकारी के पास तत्पर प्रस्तुत करें। यदि इस कर मुक्ति के प्रमाण-पत्र का नवीकरण करवाना हो तो अपने आयकर अधिकारी के माध्यम से आवेदन करें। आवेदन निर्धारित फार्म 10-बी में भरकर संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें। आवेदन के साथ वार्षिक प्राप्ति और लघु का पूर्ण विवरण और यदि नियमों या विनियमों में कोई परिवर्तन/संशोधन किये गये हों तो उसकी सूचना भी तत्पर संलग्न करें।

तम संख्या और दिनांक 27/7/09
प्रतिनिधि प्रेषित :-

1. आयकर अधिकारी/सहायक आयुक्त/आयुक्त/आयकर उपआयुक्त/सहायक/सहित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस कर मुक्ति प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए यदि कोई अनुवर्ती आवेदन उन्हें प्राप्त हो तो उसे अपनी रिपोर्ट सहित अपने आयकर उपआयुक्त के माध्यम से आवेदन पाने के 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।
2. सहायक/उपर आयुक्त/आयुक्त को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(Handwritten Signature)
(उपरी कृष्ण)
आयुक्त, मेरठ (वित्त-प्रशासन)
कृते- आयुक्त, मेरठ